

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला पंचायत राज कार्यालय)

आदेश

संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र सं० - 05/पं०/बि-1-10/2014-32 (आ०)/प०रा०, पटना, दिनांक 04.09.2014 के द्वारा पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत (प्रति माह) भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं विशेष भत्ता की स्वीकृति के आलोक में संयुक्त निर्देशक-सह-संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या - 05/पं०/बि-1-10/2014-03/प०रा०, पटना, दिनांक 12.06.2014 के द्वारा योजना मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ का मांग पत्र 16 एवं विपत्र कोड P2515001980106 एवं योजना मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना -उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ का मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड P2515007890104 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु क्रमशः 73,93,720/- (तिहतर लाख तेरानवे हजार सात सौ बीस रुपये मात्र) एवं 15,35,442/- (पन्द्रह लाख पैतीस हजार चार सौ बियालीस रुपये मात्र) दोनो मिलाकर कुल 89,29,162/- (नवासी लाख उनतीस हजार एक सौ बारसठ रुपये मात्र) का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे निम्नांकित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित क्रमांक - 3 एवं 4 के अनुसार राशि का उपवांटन किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	योजना मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	योजना मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना -उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु-2801-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	कुल (3+4)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्र०वि०पदा०, सदर मुंगेर	8,20,000.00 (आठ लाख बीस हजार रुपये)	1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार रुपये)	9,90,000.00 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये)	
2	प्र०वि०पदा०, जमालपुर	8,20,000.00 (आठ लाख बीस हजार रुपये)	1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार रुपये)	9,90,000.00 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये)	
3	प्र०वि०पदा०, धरहरा	8,20,000.00 (आठ लाख बीस हजार रुपये)	1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार रुपये)	9,90,000.00 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये)	
4	प्र०वि०पदा०, बरियारपुर	8,20,000.00 (आठ लाख बीस हजार रुपये)	1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार रुपये)	9,90,000.00 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये)	
5	प्र०वि०पदा०, ह० खड़गपुर	8,33,720.00 (आठ लाख तेतीस हजार सात सौ बीस रुपये)	1,75,442.00 (एक लाख पछहत्तर हजार चार सौ बियालीस रुपये)	10,09,162.00 (दस लाख नौ हजार एक सौ बारसठ रुपये)	
6	प्र०वि०पदा०, टेटिया बम्बर	8,20,000.00 (आठ लाख बीस हजार रुपये)	1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार रुपये)	9,90,000.00 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये)	

7	प्र0वि0पदा0, असरगंज	8,20,000.00 (आठ लाख बीस हजार रुपये)	1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार रुपये)	9 90,000.00 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये)	
8	प्र0वि0पदा0, तारापुर	8,20,000.00 (आठ लाख बीस हजार रुपये)	1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार रुपये)	9,90,000.00 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये)	
9	प्र0वि0पदा0, संग्रामपुर	8,20,000.00 (आठ लाख बीस हजार रुपये)	1,70,000.00 (एक लाख सत्तर हजार रुपये)	9,90,000.00 (नौ लाख नब्बे हजार रुपये)	
	कुल -	73,93,720 /- (तिहतर लाख तेरानवे हजार सात सौ बीस रुपये मात्र)	15,35,442 /- (पन्द्रह लाख पैतीस हजार चार सौ बियालीस रुपये मात्र)	89,29,162 /- (नवासी लाख उनतीस हजार एक सौ बारसठ रुपये मात्र)	

उपावंटित राशि की निकासी राज्यादेश संख्या 03 दिनांक 12.06.2014 में निहित अनुदेश के आलोक में नियमों के अन्तर्गत वास्तविक भुगतान हेतु समीक्षा कर तथा सभी स्तरों के पदधारकों को नियत भत्ते का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के द्वारा संबंधित पदधारकों के खाते के द्वारा करना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या - एम0-4-05/98-2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 ,310 दिनांक 28.03.2014 , 353,दिनांक 15.04.2014 एवं 6720,दिनांक 25.07.2014 में निहित निर्देश के आलोक में करना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी करते समय प्रस्तुत किये गये विपत्र पर विषयांकित बजट शीर्ष, इकाईयों का कोड, मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें साथ ही राशि की निकासी कर व्यय किये गये राशि का लेखा संधारण महालेखाकार से कराना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय साथ ही राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में किया जाय।

उपावंटित की जा रही राशि की निकासी दिनांक 05.10.2014 तक पूर्ण रूपेण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 06.10.2014 तक निश्चित रूप से जिला पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मम मिश्र
21.9.14
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 566/पं0, दिनांक 22.09.14

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/तारापुर एवं खडगपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 मैनेजर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, मुंगेर को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आवंटन को मुंगेर वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

मम मिश्र
21.9.14
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।